

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-1892 /FP/UK/ROAD/31821/2018 :देहरादून: दिनांक: 29 जनवरी, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/०६/१५४/२०१८/एफ०सी०/११७ दिनांक:-१८.०५.२०२०

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 2587/12-1 दिनांक 06.01.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 पौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु निर्धारित दर के अनुसार आवश्यक धनराशि रू० 10,64,800.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1)
	(ख) राज्य सरकार plantation हेतु चयनित क्षेत्र का सही खसरा सं०/उपखण्ड इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

o/c

	किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यतिआवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कर्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या-202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रु0 2,62,800.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार) सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 33 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रु0 13,27,600.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष, नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
8	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के

	सुनिश्चित किया जाएगा।	माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राजीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

22	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन ऑनलाईन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 1872/FP/UK/ROAD/31821/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c